UPME010204462025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

उपस्थित : श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II,

(उच्चतर न्यायिक सेवा)

(ID No. : UP 6030)

दाण्डिक निगरानी संख्या 934 सन 2025

रोहित सिंघल, डायरेक्टर मैसर्स श्री जी कैम सोल्व प्रा०लि०, 8, गार्डन व्यू कॉलोनी, थाना टी.पी. नगर जिला मेरठ।

..... पुनरीक्षणकर्ता।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार
2. मैसर्स यू०पी० फील्ड उद्योग प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर खुशी राम शर्मा पुत्र स्व० परशुराम शर्मा स्थित उद्योग प्लाट संख्या 701/19 भोला झाल, निकट भोला पुलिस चौकी, थाना जानी जिला मेरठ।

..... प्रत्युत्तरकर्तागण।

पुनरीक्षकर्ता के अधिवक्ताः श्री हर्ष कान्त।
विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ताः श्री के.के. चौबे, जि.शा.अधि.फौ.
विपक्षी संख्या–2 के अधिवक्ताः श्री नरेन्द्र सिंह ढाका।

निर्णय

1. प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण, परिवाद संख्या 2979/2024 मैसर्स यू०पी० फीड उद्योग प्रा० लि० बनाम श्री जी केम सोल्व प्रा०लि० आदि में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 04, मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.10.2024, जिसके द्वारा उन्होंने पुनरीक्षणकर्ता/विपक्षी को अंतर्गत धारा-406 भा०दं०सं० में विचारण हेतु तलब किया है, के विरूद्व योजित की गयी है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि–

2. प्रस्तुत पुनरीक्षण के सम्बन्ध में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी/प्रत्युत्तरकर्ता संख्या 2 द्वारा न्यायालय में परिवाद संख्या 2979/2024 मैसर्स यू०पी० फीड उद्योग प्रा० लि० बनाम श्री जी केम सोल्व प्रा०लि० आदि विपक्षी/पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्व प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा-200 द०प्र०सं० एवं धारा-202 द०प्र०सं० में परिवादी एवं अन्य साक्षी का बयान अंकित किया गया। अवर न्यायालय द्वारा परिवादी एवं जांच साक्षी की परीक्षा के पश्चात अभियुक्त रोहित सिंघल, डायरेक्टर मैसर्स श्री जी केम सोल्व प्राईवेट लिमिटेड़ को अंतर्गत धारा 406 भा०दं०सं० में विचारण हेतु तलब किये जाने के आधार पर प्रश्नगत आदेश को खण्डित किये जाने एवं न्यायोचित आदेश पारित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

पुनरीक्षण का आधार-

3. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण में यह आधार लिया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अनुचित, गलत, विधि एवं तथ्यों के विरूद्व है। अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय विधिक मस्तिष्क का प्रयोग न करते हुये यन्त्रवत तरीके से आदेश पारित किया है। परिवादी/विपक्षी संख्या 2 का प्रारम्भिक साक्ष्य अंतर्गत धारा 200 एवं 202 द०प्र०सं० परिवाद के आरोप से भिन्न है। माल वापस ले जाने का कोई उल्लेख नोटिस एवं परिवादपत्र में नहीं है। धारा 406 भा०दं०सं० में दण्डनीय आपराधिक विश्वासघात धारा 405 भा०दं०सं० में वर्णित किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि यदि कथित वापसी माल व्यक्तिगत रूप से भी दिया गया, तब भी माल प्राप्ति के प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं होने से माल का निगरानीकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि को हस्तगत किया जाना पत्रावली पर प्रमाणित नहीं होने से प्रथम दृष्टया भी अपराध अंतर्गत धारा 406 भा०दं०सं० कारित होना भी प्रमाणित नहीं होने से पोषणीय नहीं है। पत्रावली पर परिवाद पत्र के अनुसार मात्र एक रसायन xanthan gum का विवाद था जो परिवादी के अनुसार xanthan gum के स्थान पर Gaur gum की आर्पूति की गयी थी जबकि gaur gum दो माह नहीं वरन मात्र 48 घंटे के अंदर खराब हो जाता है। परिवादपत्र के अनुसार विवाद पूर्णतः दीवानी प्रकृति का है, जिसे झूठे साक्ष्य द्वारा आपराधिक रंग देने का प्रयास किया गया। प्रत्युत्तरकर्ता संख्या 2 ने पुनरीक्षणकर्ता द्वारा क्रय किये गये 22 रसायनों में से मात्र एक रसायन को प्रिजरवेटिव बता उसकी गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगा आठ रसायनों की वापसी दर्शायी गयी है, जो कि मिथ्या है। प्रश्नगत आदेश अनुमान एवं अटकलों पर आधारित है। अतः अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 04.10.2024 खण्डित व अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. दस्तावेजी साक्ष्य-पुनरीक्षणकर्ता:

i परिवाद संख्या 2979/2024 मैसर्स यू०पी० फीड उद्योग प्रा० लि० बनाम श्री जी केम सोल्व प्रा०लि० आदि में पारित आदेश दिनांकित 04.102024 की सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या 5 ख/2,

ii. परिवाद संख्या 2979/2024 मैसर्स यू०पी० फीड उद्योग प्रा० लि० बनाम श्री जी केम सोल्व प्रा०लि० आदि की सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या 9 ख 2 ता 9 ख/3

5. प्रत्युत्तरकर्ता संख्या 1 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुये कथन किया गया है कि प्रश्नगत आदेश विधिक प्राविधानों के अनुकूल है। उसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

6. प्रत्युत्तरकर्ता संख्या 2 की ओर से आपत्ति कागज संख्या 19 ख इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि परिवादी द्वारा अन्तिम रसायन/माल दिनांक 08.06.2022 को क्रय किया था जो पुनरीक्षणकर्ता द्वारा खराब माल भेजे जाने के कारण दिनांक 03.10.2022 को परिवादी द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को वापस भेज दिया गया। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा परिवादी को पूर्ण आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही बदले में दूसरा माल भेजा जायेगा जो पुनरीक्षणकर्ता द्वारा नहीं भेज गया। समस्त माल (रसायन) जी०एस०टी पैड आता है। जेन्थन गम का पशु आहार में मुख्य भूमिका

होती है। जेन्थन गम की लाइफ 24 माह होती है जो पशु आहार की थीकनेस 24 माह तक रखता है, जिसके कारण पशु आहार खराब नहीं होता है, किसी भी पशु आहार बनाने मे जेन्थन गम की भूमिका अहम होती है। पुनरीक्षणकर्ता ने परिवादी/प्रत्युत्तरकर्ता संख्या 2 के माल (रसायन) को वापस न भेजकर परिवादी को दिलाये गये विश्वास को तोड़ा है। पुनरीक्षकर्ता द्वारा अपनी पुनरीक्षण में 30 चैकों के अनाद्रत होने का कथन भी पूर्णतया गलत किया है। इसी कारण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा परिवादी/प्रत्युत्तकर्ता संख्या 2 के चैको का सही विवरण अंकित नहीं किया गया है। परिवादी/प्रत्युत्तरकर्ता संख्या 2 ने अपने नोटिस में स्पष्ट अंकित किया था कि विपक्षी/पुनरीक्षणकर्ता जब तक सही माल वापस नहीं भेजेगा तब तक एडवांस चैको का पेमेन्ट स्टाप करा दिया जायेगा। उक्त के आधार पर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7. मैंने पुनरीक्षणकर्ता तथा प्रत्युत्तरकर्ता संख्या-02 के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा आलोच्य आदेश एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

8. **मालती बनाम उ०प्र० राज्य 2000 (क्रि०लॉ०ज०) 4170 (इला०)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है, जो यह सुनिश्चित करती है कि आपराधिक न्याय-शास्त्र के अधीन स्थापित न्याय किया गया है या नहीं।

9. **अमित कुमार बनाम रमेश चन्द्र (2012) 9 एस०सी०सी० 460** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण न्यायालय को अवर न्यायालय के निष्कर्षों की वैधानिकता एवं उचितता तक सीमित रहना चाहिए। पुनरीक्षण न्यायालय को अवर न्यायालय के तथ्य के निष्कर्षों को निरस्त किये जाने की क्षेत्राधिकारिता नहीं है। पुनरीक्षण न्यायालय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती या अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथ्य के नवीन निष्कर्षों एवं साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकता।

10. प्रस्तुत मामले में अवर न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में यह आधार लिया गया है कि-

> "पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अंतर्गत धारा 200 द०प्र०सं० में परिवादपत्र के कथनों का समर्थन करते हुये यह बयान दिया गया कि उसकी फर्म का नाम यू०पी०फीड उद्योग प्रा०लि० है तथा वह उक्त फर्म का डायरेक्टर है। उक्त फर्म कैटल फीड बनाती है। श्री जी कैमिकल से वह रॉ मेटेरियल/कच्चा माल लेता था, तो उसमें वे मिलावट करके देने लगे। यू०पी० फार्मास्यूटिकल्स प्रा०लि० को माल बनाकर सप्लाई किया, तो उनका माल खराब हो गया तथा माल वापस आने लगा। परिवादी ने माल वापस लेकर उसे दूसरा माल दिया तथा उसने इसकी शिकायत विपक्षी से की, तो वे खुले बैग उठाकर वापस लेकर गये और बोले कि दूसरा बदलकर दे देंगे। दूसरा माल

नहीं दिया, जो माल उठाकर ले गये थे, उसका मूल्य 2,43,000/– था। श्री कैमिकल के डायरेक्टर रोहित सिंघल हैं। उन्होंने जंथन गम में ग्वार गम मिला दिया, जिसके कारण माल खराब हो गया। उन्हें ये मेटेरियल विपक्षी ने वापस नहीं किया। अभी तक चार लाख का नुकसान हो चुका है। उक्त माल की सप्लाई मौखिक रूप से कहने के आधार पर ही किया जाता है, जो बिल है, वह जंथन गम का है। इसी आशय का बयान गवाहान द्वारा धारा 202 दं०प्र०सं० के अंतर्गत परिवाद पत्र के कथनों का समर्थन करते हुए दिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को रॉ मेटेरियल / कच्चा माल सप्लाई किया गया, जिसके खराब होने का कथन परिवादी द्वारा किया गया है। परिवादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि खराब रॉ मेटेरियल / कच्चा माल विपक्षी वापस ले गये तथा उसके एवज में कोई माल उनके द्वारा परिवादी को नहीं दिया गया ना ही उसके बदले पैसा वापस किया गया। परिवादी के कथनानुसार उक्त माल का मूल्य रूपये 2,43,000/– था। परिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विभिन्न तिथियों पर सप्लाई किये गये माल के बिल की प्रतिलिपि पत्रावली में दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित होता है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को रॉ मेटेरियल / कच्चा सप्लाई किया गया, जिसे परिवादी द्वारा खराब होने का कथन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी के साथ विपक्षी रोहित सिंघल द्वारा व्यापार किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में परिवाद पत्र, बयान अंतर्गत धारा 200 व बयान अंतर्गत धारा 202 द०प्र०सं० व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से विपक्षी रोहित सिंघल, डायरेक्टर मैसर्स श्री जी केम सोल्व प्राईवेट लिमिटेड के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 406 भा०दं०सं० के अंतर्गत अपराध बनना प्रतीत हो रहा है। अतः उपरोक्त अभियुक्त उक्त धारा में विचारण हेतु तलब किए जाने योग्य हैं।''

11. प्रस्तुत पुनरीक्षण में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा मुख्य आधार यह लिया गया है कि-

- अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय विधिक मस्तिष्क का प्रयोग न करते हुये यन्त्रवत तरीके से अनुचित, गलत, विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध आदेश पारित किया है।
- परिवादी/विपक्षी संख्या 2 का प्रारम्भिक साक्ष्य अंतर्गत धारा 200 एवं 202 द०प्र०सं० परिवाद के आरोप से भिन्न है।
- माल वापस ले जाने का कोई उल्लेख नोटिस एवं परिवादपत्र में नहीं है। माल प्राप्ति के प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं होने से माल का निगरानीकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि को हस्तगत किया जाना पत्रावली पर प्रमाणित नहीं होने से प्रथम दृष्टया भी अपराध अंतर्गत

धारा 406 भा०दं०सं० कारित होना भी प्रमाणित नहीं होने से पोषणीय नहीं है।

12. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि उसके तथा परिवादी के बीच व्यापारिक अनुबंध अस्तित्व में था। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह भी स्वीकृत तथ्य है कि पूर्णतः दीवानी प्रकृति के विवाद को आपराधिक रंग देने का प्रयास किया गया है। लेकिन परिवाद पत्र तथा जांच साक्ष्य में प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि परिवादी/प्रत्यत्तरकर्ता द्वारा कई बार उठाई गई आपत्तियों के पश्चात पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पूर्ण आश्वासन दिया जाता रहा। इसके पश्चात यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि प्रश्नगत माल को पुनरीक्षणकर्ता द्वारा वापस नहीं भेजा गया।

13. विद्वान अवर न्यायालय ने जांच साक्षियों के साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करते हुए अपने आलोच्य आदेश में यह आधार लिया है कि सप्लाई किया गया माल खराब हो गया तथा वापस आने लगा था। दूसरे माल में भी शिकायत आने पर उसे भी बदलने का आश्वासन दिया गया तथा माल वापस ले लिया गया। विद्वान अवर न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि दूसरा माल जिसका मूल्य 2,43,000/- रूपये था, नहीं दिया गया। विद्वान अवर न्यायालय ने मिलावटी जंथन गम का उल्लेख करते हुए यह तथ्य भी उल्लिखित किया है कि माल की सप्लाई मौखिक रूप से कहने के आधार पर ही किया जाता है, जो बिल है, वह जंथन गम का है। इसी आशय का बयान गवाहान द्वारा धारा 202 दं०प्र०सं० के अंतर्गत परिवाद पत्र के कथनों का समर्थन करते हुए दिया गया। परिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विभिन्न तिथियों पर सप्लाई किये गये माल के बिल की प्रतिलिपि पत्रावली में दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित होता है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को रॉ मेटेरियल / कच्चा माल सप्लाई किया गया, जिसे परिवादी द्वारा खराब होने का कथन किया गया है।

14. ऐसी स्थिति में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत तथ्यो के आलोक में न्यायिक मस्तिष्क का प्रोयग करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है। जांच साक्षियों के बयान आदि में दर्शित कतिपय विरोधाभास इस स्तर पर तात्विक नहीं हैं।

15. तदनुसार पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.10.2024 पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.10.2024 पुष्ट किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब वापस हो।

पत्रावली नियामानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांक 15.06.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
ID No. UP 6030

निर्णय खुले न्यायालय में आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक 15.06.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
ID No. UP 6030

This is uncertified copy for information/ reference.
For authentic copy please refer to certified copy only.

Pankaj Kumar
(P.A.)